

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 488] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 1979/अग्राहायण 2, 1901  
No. 488] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 1979/AGRAHAYANA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अभिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1979

का. आ. 750(अ) .—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि इसकी तारीख 3 अक्टूबर, 1979 की अभिसूचना संख्या 434/दिल्ली/79(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अभिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, मद संख्या 5 के सामने, “5. श्री एम. के. मिश्रा, सहायक आयुक्त, बिक्री कर, विकास भवन, नई दिल्ली” प्रविष्टि जोड़ी जाएगी; मद संख्या 6 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि संख्या

3 के स्थान पर, “3. श्री के. सी. जैन, जिला उत्पादन शुल्क आफिसर, 2-बैटरी लेन, दिल्ली” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[संख्या 434/दिल्ली/79(1)]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 1979

**S.O. 750(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/DL/79(1), dated 3rd October, 1979, namely:—

In column 2 of the table appended to the said notification, against item No. 5, the entry “5. Shri M. K. Mishra, Assistant Commissioner, Sales Tax, Vikas Bhawan, New Delhi.” shall be added; against item No. 6, for the existing entry 3, the entry “3. Shri K. C. Jain, District Excise Officer, 2-Battery Lane, Delhi.” shall be substituted.

[No. 434/DL/79(1)]

By Order,

K. GANESAN, Secy.